कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज

अनुमण्डल राजस्व प्रशाखा

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत पड़नेवाले निम्नलिखित हाट बाजार सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2019–20 के लिए खुलीडाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में अपराह्न 2:00 बजे की जायेगी। प्रथम निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में अगली निर्धारित द्वितीय एवं तृतीय तिथि को की जायेगी। निर्धारित तिथियों के पश्चात् यदि आवश्यकता हुआ तो अगले प्रत्येक कार्य दिवस में सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

क्र0	सैरातों का नाम	अंचल का नाम	सुरक्षित जमा राशि	बन्दोबस्त पदाधिकारी	डाक की निर्धारित तिथी			
					प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	मछलीगडढ़ा, किशनगंज	किशनगंज	26680.00	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज	25.03.2019	27.03.2019	29.03.2019	प्रत्येक कार्य दिवस
02	कादोगांव राजस्व हाट, ठाकुरगंज	ठाकुरगंज	40825.00					
03	बरचौंदी राजस्व हाट, ठाकुरगंज	ठाकुरगंज	46552.00					
04	धुमनी हाट, ठाकुरगंज	ठाकुरगंज	21292.00					
05	झोरा मेला	ठाकुरगंज	34615.00					
06	बांसबाड़ी राजस्व हाट, बहादुरगंज	बहादुरगंज	21965.00					
07	साहनगरा राजस्व हाट, कोचाधामन	कोचाधामन	38525.00					
08	हल्दीखोरा राजस्व हाट, कोचाधामन	कोचाधामन	21620.00					
09	मोधो राजस्व हाट, कोचाधामन	कोचाधामन	41975.00					
10	खड़खड़ी हाट, पोठिया	पोठिया	35708.00					
11	दलुआ हाट, पोठिया	पोठिया	40595.00					
12	गोरी हाट, पोठिया	पोठिया	36800.00					
13	सतमढ़ी, घाट	पोठिया	20125.00					
14	बैरिया राजस्व हाट, टेढ़ागाछ	टेढ़ागाछ	37605.00					
15	सुहियां राजस्व हाट, टेढ़ागाछ	टेढ़ागाछ	27905.00					
16	सूहिया घाट	टेढ़ागाछ	41923.00					

7/3/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
किशनगंज।

07/03/19

डाक की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. पुलिस अधीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला / अनुमण्डल / अंचल / नगर परिषद से बकाया रहित प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
4. किसी भी हाट /घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। साथ हीं उनके निकट भाई, भतींजा,बेटा को भी डाक में भाग लेने नही दिया जायगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बन्दोवस्ती वर्त्तमान में स्थित राजस्व हाट की जितनीं जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर हीं कीं जायगीं।
5. हाट / घाट कीं जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ–सफाई एवं पानीं की सारी व्यवस्था लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में किसी प्रकार की राजनीतिक सभा नहीं की जायगी।
6. सैरात की जमीन पर किसी भी प्रकार के स्थायीं संरचना का निमार्ण नही किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेदारी होगी।
7. हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर हीं करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसींद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को हीं करनीं होगीं।
8. बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बन्दोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नही होगा।
9. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/स्थाई कोई भीं धार्मिक या मजहबी निर्माण नही होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेहीं हाट ठेकेदार / बन्दोवस्तदार की होगीं।
10. संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाब देही होगी कि वे हाट में सड़ी गलीं वस्तुओं कीं खरीद बिक्री नही होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेगें। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
11. घाट लेसी को 24 घण्टे दो बड़ी नावों को घाटों पर लगानीं होगीं तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूलीं नही करनीं होगीं।
12. घाट लेसी को डाक में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर देनीं होगीं।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोवस्तीं अस्वींकृत रद्द करने अथवा हाट कीं निलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित स्टाम्प शुल्क/ निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का 2% निबंधन शुल्क एवं 6% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर बन्दोबस्ती रद्द कर दिया जायेगा।
15. सुरक्षित जमा निर्धारन आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ के सुरक्षित जमा निर्धारन समिति के अनुशंसा / अनुमोदन अनुसार परिवर्तित हो सकता है।

7/3/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
किशनगंज।